न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 24/2020 दायर दिनांक 03.02.2020

जगदीश पुत्र बिड़दाराम जाति रैगर निवासी खिरोड तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

--- वादी

बनाम

भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

--- प्रतिवादीगण

वकील वादी – श्री किशोर कुमार जागिड़

वकील प्रतिवादी – राज. पैरोकार

वाद बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड

निर्णय

दिनांक– 26.02.2020

वादी द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम वाके ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0) की सरहद मे आराजी नये खसरा नम्बर 1639 रकबा 0.02 हैक्टर स्थित है। उक्त आराजी मे वादी का 1/4 हिस्सा है । उक्त वाद मे हक हिस्से बावत किसी भी प्रकार का कोई विवाद नही है। दावे मे विवाद मात्र वादी को सही नाम व वास्तविक जगदीश प्रसाद पुत्र बिड़दाराम है। परन्तु उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड मे वादी का नाम विरू पुत्र बीड़दा गलत दर्ज चला आ रहा है। वादी का सही व वास्तविक नाम जगदीश प्रसाद पुत्र बिड़दाराम है। जो वादी के पहचान सम्बन्धि समस्त दस्तावेज राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा द्वारा मतदाता पहचान पत्र, भारतीय विशिष्ट पहचान अभिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड विधुत विभाग द्वारा जारी बिल, भारतीय स्टेट बैंक शाखा नवलगढ मे बैंक खाते मे दर्ज है । परन्तु उपरोक्त मद संख्या 1 मे दर्ज आराजी के राजस्व रिकॉर्ड मे वादी को नाम विरूद्ध पुत्र बीड़दा गलत दर्ज चला आ रहा है। जबकि विरू पुत्र बीड़दा व जगशीश प्रसाद पुत्र बिड़दाराम दोनो नामो का एक ही व्यक्ति वादी है । उक्त आराजी के राजस्व अभिलेख मे वादी का नाम गलत दर्ज रहने से वादी को अनेक परेशानियो का सामना करना पड़ता है । वादी मात्र अनपढ व्यक्ति है जिसको केवल हस्ताक्षर करने ही आते है । वादी को राजस्व अभिलेख का पूर्व मे ज्ञान नही था । वादी ने दिनांक 25.01.2020 को राजस्व अभिलेख जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो हल्का पटवारी ने वादी को उक्त गलत नाम के बारे मे बताया है । तब वादी को उक्त गलत राजस्व अभिलेख की जानकारी हुई है । इसलिए उपरोक्त आराजी के राजस्व अभिलेख मे वादी नाम वीरू पुत्र

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

Scanned by CamScanner

बीडदा के स्थान जगदीश प्रसाद पु बिड़दाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। जिसके लिए उक्त वाद श्रीमान् जी की सेवामें पेश है। उक्त वाद के लिए वाद कारण वादी को गलत राजस्व अभिलेख की जानकारी होने के रोज अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार मे पैदा हुआ है। उक्त आराजी अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार मे होने से अदालत हाजा का उक्त वाद सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर ग्राम खिरोड तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0) की सरहद मे आराजी नये खसरा नम्बर 1639 रकबा 0.02 हैक्टर मे वीरू पुत्र बीडदा के स्थान जगदीश प्रसाद पु बिड़दाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे। अन्य कोई सिद्धि जो चाही जाने से रह गई है और वादी के पक्ष मे पडती है। वह भी दिलवायी जावे।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी नम्बर 1 तहसीलदार नवलगढ की ओर से राज पैरोकार उपस्थित। तहसीलदार नवलगढ द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर वाद में अंकित तथ्यों को सही बताया है। पत्रावली में शहादत वादी में वादी जगदीश पुत्र बिड़दा जाति रैगर निवासी खिरोड का मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बहस के तथ्यो पर मनन किया गया। तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट के अनुसार वाद पत्र में वर्णित तथ्यों सही होने से वाद वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वाद स्वीकार किया जाता है।

–: आदेश :–

वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम खिरोड की सरहद मे आराजी नये खसरा नम्बर 1639 रकबा 0.02 हैक्टर मे वीरू पुत्र बीडदा के स्थान पर जगदीश प्रसाद पुत्र बिडदाराम जाति रैगर निवासी खिरोड़ दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

Scanned by CamScanner

ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास तोगडाकला
मुरारी लाल शर्मा (आर०ए०एस०) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड

मुकदमा सं0:– 24/2020 **(जगदीश पुत्र बिड़दा बनाम तहसीलदार)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर०ए०एस०),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ बहाजिरी. वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 26.02.2020 के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम खिरोड की सरहद मे आराजी नये खसरा नम्बर 1639 रकबा 0.02 हैक्टर मे वीरू पुत्र बीडदा के स्थान पर जगदीश प्रसाद पुत्र बिड़दाराम जाति रैगर निवासी खिरोड़ दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगे।। तदनानुसार पर्चा डिकी जारी हो।

जिन............–............ मुबलिग............–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–.......फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–..........का अदा करे।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26 माह 02 सन 2020 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
मोहर

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	02.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	6.00		0.00

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.03.20 12:27:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: